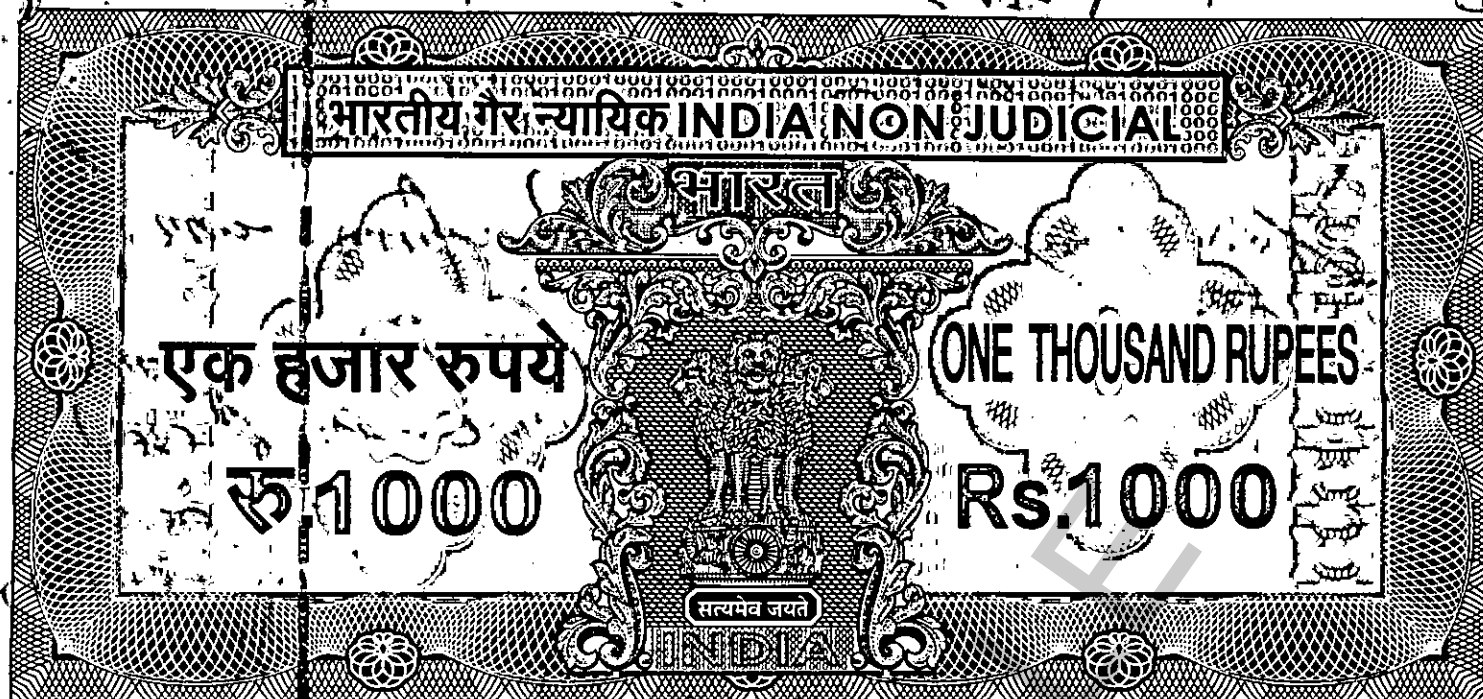


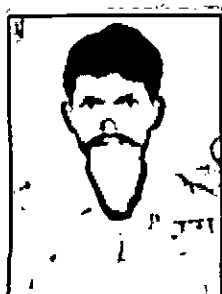
CPD



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (श्री.)

C 988774

लगानी भूमि का विक्रय पत्र कीमती 1,44,320-00 एक
लाख चवालिस हजार तीन सो बीस रुपये एवं बाजार
8,34,500-00 (अक्षरी आठलाख चौतीस हजार पांचसो रुपये)
ब्लॉक तराना



स्टेप ड्युटी	62,588=00
पंचायत ड्युटी	8,345=00
उपकर	3,130=00
अधिक	37=00

मुआधिकार ऋण पु. नंबर एल. एच. 220402
ग्राम मेरखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर 23 राजस्व
निरिक्षक वृत्त-1 माकड़ोन तहसील तराना
जिला उज्जैन में स्थित असिंचित पड़त बीहड़
चरनोई भूमि जो रोड़ से हटकर अंदर की
ओर स्थित है।

योग :- 74,100-00

(चौहोत्तर हजार एक सौ रुपये)

नाम विक्रेतागण :-

- (1) गोकूल आयु 35 वर्ष (2) गोवर्धन आयु 32 वर्ष
(3) बद्री आयु 30 वर्ष पुत्रगण पिरया जी जाति चमार
(4) श्रीमती, धापुबाई पति, पिरया जाति चमार आयु 50 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम करेडी तहसील तराना कृषक ग्राम मेरखेडी तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

नास केता

रोसको बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड सी-7, II
फ्लोर विकासपुरी नई दिल्ली 110018 द्वारा
अधिकृत श्री कृष्णसिंह पिता श्री तुलेशिंहजी जाति
राजपुत आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम एवं पोस्ट
लूहारी तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा)

जीयम्

५७१ चक्रवर्त

७५

१५११६३

गोरेगाव

कप ह/

B.2. ELMAD



MR 26833/16 ES-44-157 MR-77-32

2

PCY/E/2014/CS/B5-ffc



६६२४६२७
१३/१०/०९
१०००

$\frac{2000}{2} + \frac{200}{2} + \frac{200}{2} = 2920$
२२ चार हजार एक सौ बीस मात्र

रिजी. र. ३४२०९

लेखापाल उप कोषालय
तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

13 OCT 2009

वि. ७ गोपुल आदि डा. पिरयाजी चमार नि.क.हा.
डे. २ रोसको नि.क.हा. प्र. नि.क.हा. ६१११ आदि
कुल ६१११ उल्लेखित २१०० (३६११)

दे. ६११११
(६१११११)

2

सचिव
राम कृष्ण
६१. ६१११

कुल रु.क.	62,588.00
र. १०० / १०००००	8345.00
प. १००००	3130.00
सह. १००००	37.00
अधिक	741.00
कुल	741.00

उप-पंजीयक
तराना (म.प्र.)

गोपुल पिता पिरयाजी

मेरे द्वारा उप-जिला, जिला
उप-पंजीयक के कार्यालय में तारीख 13 OCT 2009
को म.प्र./म.प्र. २/००
बजे प्रस्तुत किया गया।

उप-पंजीयक
तराना (म.प्र.)



3415

F-982/10
इस/स 75-19 (क) - 7
पंजीयन (हिन्दी)

तादाद फीस दाखल शुदा	इस रसीद के वापसी की तारीख व नाम उस शख्स का जो उसे खुद वापस करता है	दस्तावेज मय तारीख वापस उस फरीक के जो अपना मतलब हासिल करके रसीद वापस देता है	दस्तावेज की वापस करने की कैफियत
5	6	7	8

तोड़क

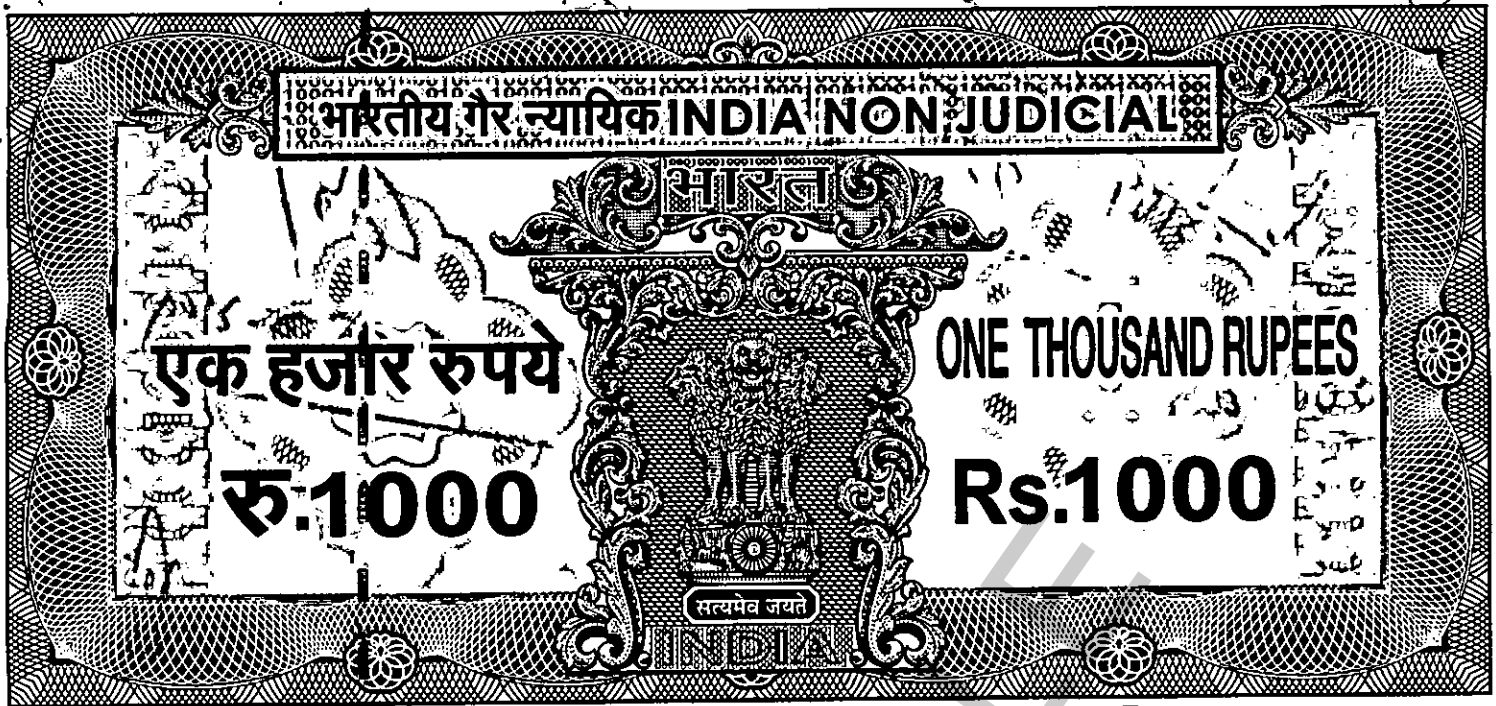
6851 260

13 OCT

दस्तावेज या नकल तारीख



पंजीयन



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775



उपपंजीगक
एवा जिला इज्जर

विक्रय मुल्य

11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

विक्रीत संपत्ति का मुल्य 1,44,320-00 एक

लाख चवालिस हजार तीस बीस रुपये

तय हुवा जो विक्रेतागण ने केता से प्राप्त कर लिया है

अतः विक्रय मुल्य पेटे कोई रुपया लेना शेष नही रहा

01/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

विक्रीत भूमि विवरण



उपपंजीगक
एवा जिला इज्जर

सर्वे नं.

135

रकबा

4.51

लगान

14.22

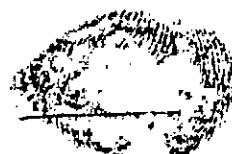
योग 11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

एक प्रायवेट कंपनी है तथा कंपनी द्वारा श्री कृष्णसिंह पिता श्री तुलेशिंहजी जाति राजपुत आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम एवं पोस्ट लुहारी तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा) को कंपनी के हित में यह विक्रय पत्र संपादित करवाने के लिये अधिकृत किया गया है।

विक्रेतागण द्वारा यह विक्रय पत्र केता के पक्ष में निम्नानुसार निष्पादित किया जा रहा है

क्रमशः



11/11/11 को कोर्ट में दाखल सी.एन. 988775

लेवापाल उप कोषालय
तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

13 OCT 2009

६६०८
१३/१०/०९
१०००

१.३.०.२००९

विलेखागण :- ① गोकूल ② गोवर्धन ③ बदी
पुत्रगण पिरयाजी आति चमार
④ श्रीमती धाप्रवरि अति पिरया आति चमार
मिठ - ग्राम कोरगी तह. तराना
हेता :- रोसको विल्डर्स प्रापेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत
श्री कृष्णसिंह पिता तुलेसिंहजी आति राजपूत

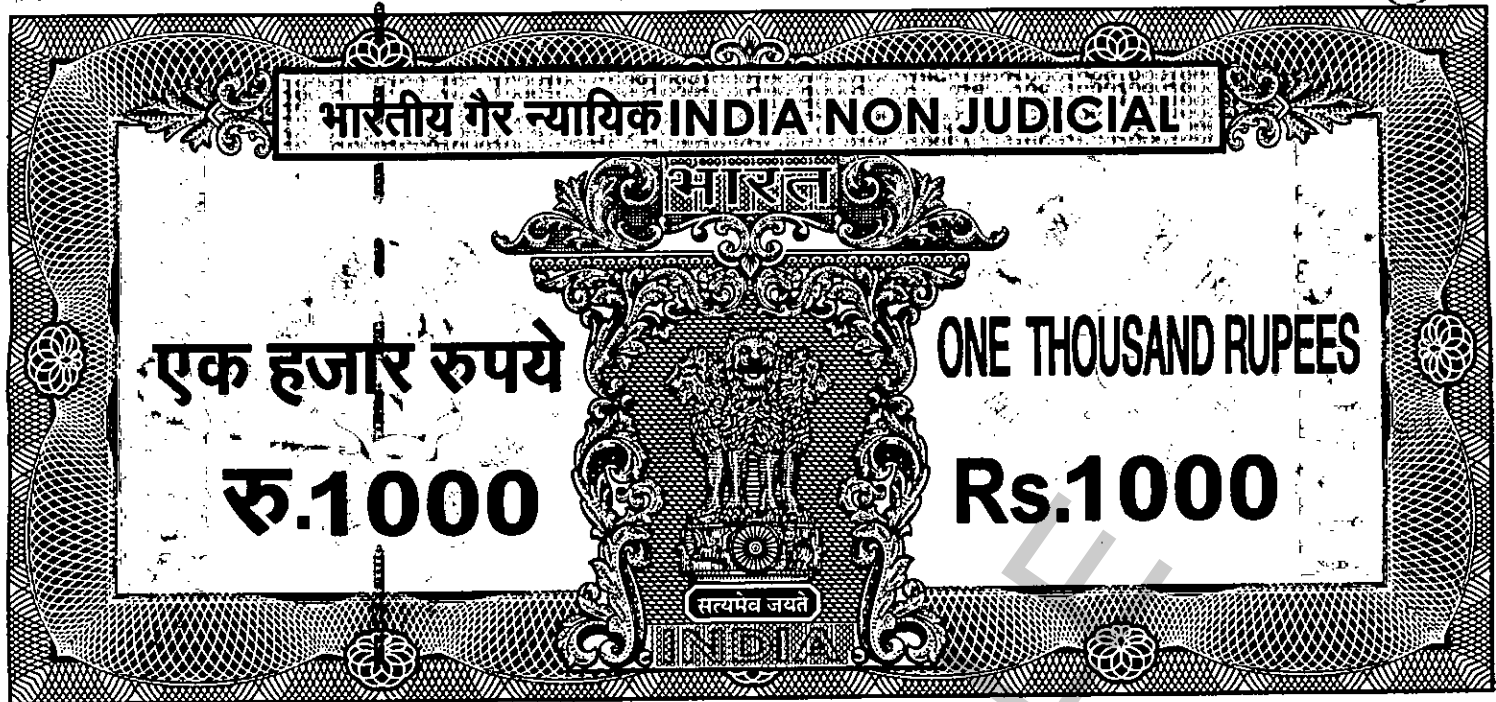
विच्छेद के तहत जानता हूँ
रखिये तह. तराना
बिच्छीपत्र विलेख का निषादन
एक लाख पचास हजार रुपये के बीच में
१५५,३२०/-
प्रतिपक्ष को प्रकाशित करने के लिए
यह सही है जो पंजीयन के तहत जारी होगा।

- ① शेखुलाल पिता गंगारामजी मिठ - कोरगी तह. तराना.
- ② नसरुल्ला खां पिता शेखरल्ला खां आति पठान
मिठ - दुपाड़ा तह. जिला शाहजपुर

की जाँच पूर्णतः निष्पादक/अभिकर्ता
की, शिनाखा के दिये में की गई।
आज दिनांक 13 OCT 2009

उप-पंजीयक
तराना (म.प्र.)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 988776

(3)

1. यह कि विक्रेता को रूपयों की निजी आवश्यकता होने से विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित भूमि क्रेता को मय मौजुदा हक्क अधिकार, सुखाधिकार तथा वहीवाट सहित विक्रय कर सम्पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त कर लिया है अब कोई रूपया लेना शेष नहीं रहा है। भविष्य में कम रूपया मिलने या अथवा नहीं मिलने के संबंध में विक्रेता या उसके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे यदि किसी प्रकार की आपत्ति भविष्य में आती है तो उसके लिये विक्रेता पूर्ण रूप से जवाबदार रहेंगा उसका क्रेता पर कोई भार नहीं होगा।

2. यह कि बिक्रीत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद स्वत्व अथवा आधिपत्य को लेकर पूर्व में नहीं रहा है। बिक्रीत भूमि के स्वत्व आधिपत्य से संबंधित कोई प्रकरण पूर्व में किसी न्यायालय में नहीं चला है न वर्तमान में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में विचाराधीन है। बिक्रीत भूमि किसी मंदिर, मस्जिद, वक्फ आदि की नहीं है, भूमि के विक्रय के संबंध में किसी प्रकार की कोई रोक या स्थगन किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। बिक्रीत भूमि पूर्ण रूप से अविवादित होकर भूमि में स्वच्छ बिक्री योग्य अधिकार विक्रेता को प्राप्त होने से भूमि विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल विक्रेता ने प्राप्त किया है तथा मौके पर प्रत्यक्ष रूप से बिक्रीत भूमि का आधिपत्य क्रेता को सौंपकर क्रेता की मालिकी कायम करवाई है।

चि ३ गांधी

२०२५

ब. ३

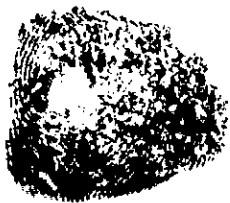
चि ३ धापुरा

क्रमशः



लेटापाल उप कोषालय
तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

13 OCT 2009



उपरोक्त निवादाक/पालक/अधिकारी

को निशान के समक्ष तारीख को लिया गया।

13 OCT 2009

उप-परीक्षा
तराना (म.प्र.)



उपरोक्त निवादाक/पालक/अधिकारी

को निशान के समक्ष तारीख को लिया गया।

13 OCT 2009

उप-परीक्षा
तराना (म.प्र.)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 988777

(4)

3. यह कि बिक्रीत भूमि की पर्याप्त कीमत आई है, इससे अधिक कीमत नहीं आ सकती है।
4. यह कि बिक्रीत भूमि में जो जो हक्क, स्वत्व, आधिपत्य, एवं वहीदात तथा सुखाधिकार, के जो अधिकार विक्रेता को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार आज दिनांक 13/10/2009 से ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के तहत क्रेता में निहित हो चुके हैं, बिक्रीत भूमि में विक्रेता का अब कोई हक्क स्वत्व या आधिपत्य शेष नहीं रहा है।
5. यह कि बिक्रीत भूमि पर से विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में से क्रेता इस विक्रय विलेख के आधार पर कम करवाकर अपने नाम का नामांतरण करवाने का हक्कदार हो गया है उसमें विक्रेता या उनके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे, तथा नामांतरण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। 13/10/09
6. यह कि बिक्रीत भूमि पर से विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में से क्रेता इस विक्रय विलेख के आधार पर कम करवाकर अपने नाम का नामांतरण करवाने का हक्कदार हो गया है उसमें विक्रेता या उनके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे, तथा नामांतरण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

क्रमशः.....



दि. 2. 11. 09



Handwritten signature and date: 9/10/09, 9000

Handwritten signature and date: 1-3-2009

लेखापाल उप कोषालय
तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

13 OCT 2009



Handwritten signature and name: **सुरेन्द्र शर्मा**
राम शर्मा
म.प्र. बख्तगढ़

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अधिकारी
का निशान मेरे समक्ष तारीख
को लिया गया।

13 OCT 2009

उप-निष्पादक
तराना (म.प्र.)

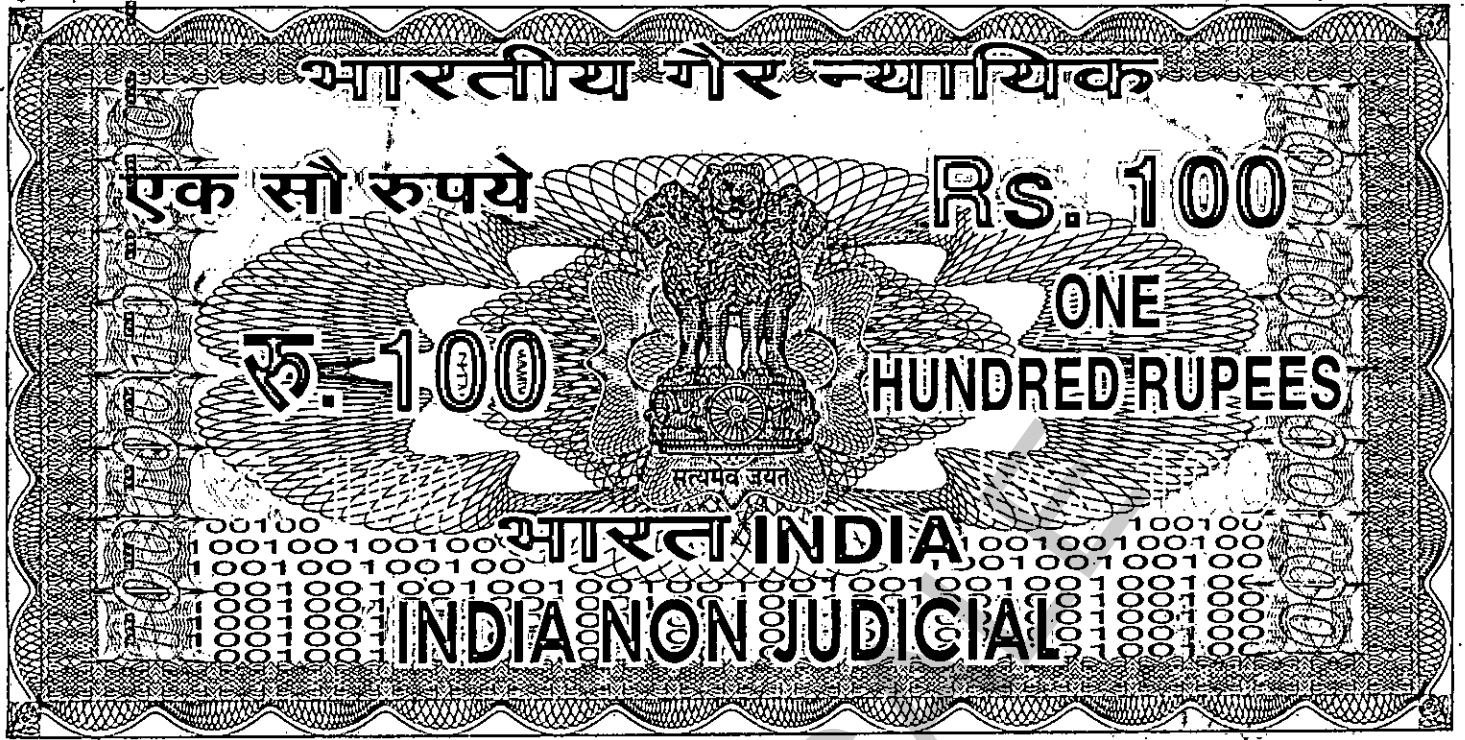


उपरोक्त निष्पादक/पालक/अधिकारी
का निशान मेरे समक्ष तारीख
को लिया गया।

13 OCT 2009

उप-निष्पादक
तराना (म.प्र.)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

L 244481

(5)

7. यह कि बिक्रीत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद स्वत्व अथवा आधिपत्य को लेकर पूर्व में नहीं रहा है। बिक्रीत भूमि के स्वत्व आधिपत्य से संबंधित कोई मुकदमा पूर्व में किसी न्यायालय में नहीं चला है न वर्तमान में कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि किसी मंदिर, मस्जिद, वक्फ आदि की नहीं है, भूमि के विक्रय के संबंध में किसी प्रकार की कोई रोक या स्थगन किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। बिक्रीत भूमि पूर्ण रूप से अविवादित होकर भूमि में स्वच्छ बिक्री योग्य अधिकार विक्रेता को प्राप्त होने से भूमि विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल विक्रेता ने प्राप्त किया है तथा मौके पर प्रत्यक्ष रूप से बिक्रीत भूमि का आधिपत्य क्रेता को सौंपकर क्रेता की मालिकी कायम करवाई है।

8. यह कि विक्रय शुदा भूमि विक्रेता के एकल स्वामित्व आधिपत्य की होने से विक्रय की गई है इसके उपरान्त भी यदि विक्रेता के स्वत्व दोष या अन्य कानूनी वजह से बिक्रीत भूमि का कब्जा क्रेता के पास से भविष्य में चला जाता है तो ऐसी दशा में विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशी मय बाजार द्वारा अनुसार ब्याज एवं बिक्रीत भूमि में भविष्य में किये जाने वाले खर्च सहित विक्रेता से व उसकी हर प्रकार की चल अचल संपत्ति से वसूलने का हक्कदार क्रेता रहेंगा उसमें विक्रेता या उनके किसी भी वारिसान की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9. यह कि विक्रय शुदा भूमि या उसके किसी भाग को पूर्व में विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति विशेष, बैंक, शासकीय अर्द्धशासकीय वित्तीय संस्था को किसी प्रकार से बिक्री गिरवी दान या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं की गई है भूमि पुर्ण



EEER
LN
93790102
9.0

66
(32200)



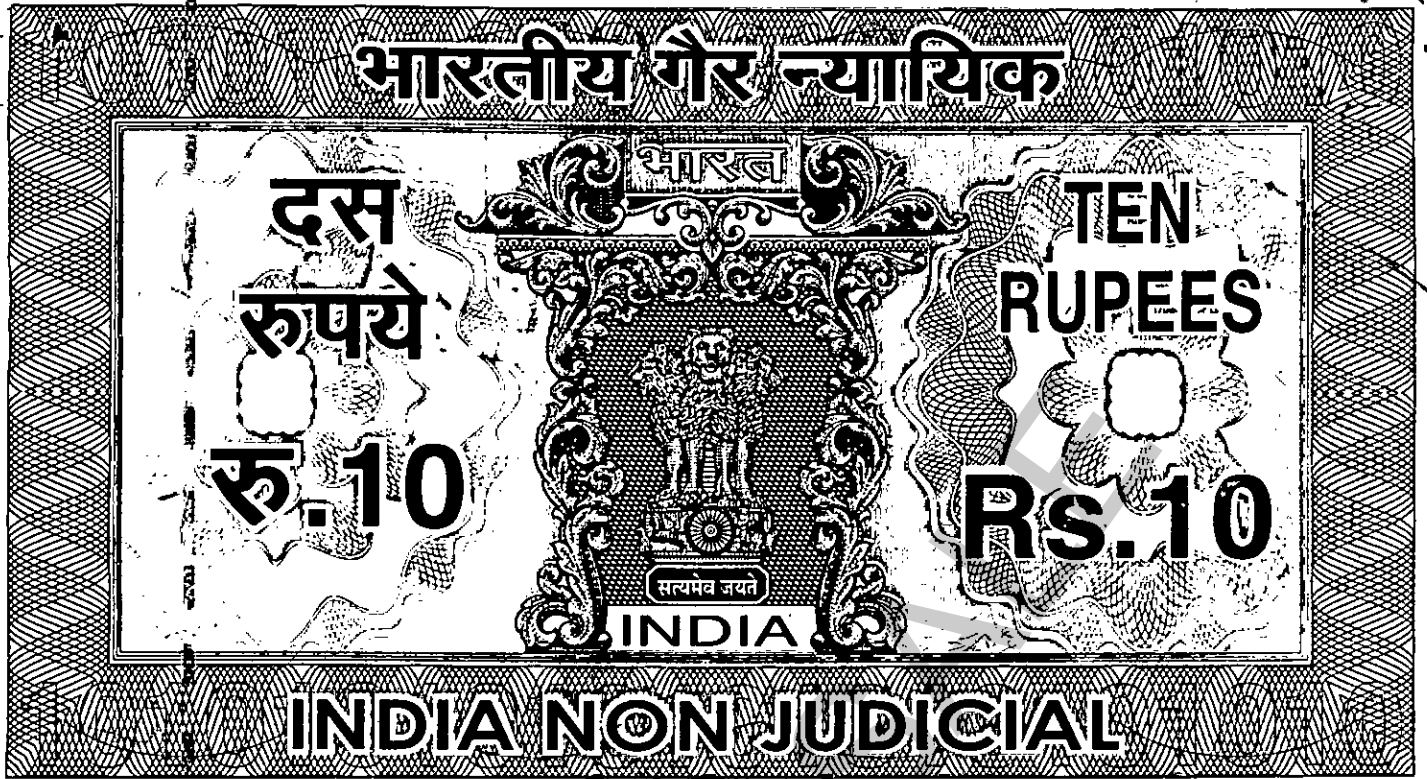
उपरोक्त निष्पादक/पूतक/अनिष्ठा
का निशान मेरे समक्ष तारीख 3 OCT 2009
को लिया गया।
र.स.
उप-पञ्चयत
हराना (म.प्र.)

Handwritten signature and stamp

NOT FOR SALE

- ① गणेश
- ② शिंदुवाल





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (6)

17AA 952068

से भारमुक्त होकर फीहोल्ड की है, इसके उपरांत भी यदि पूर्व का कोई ऋण भार किसी व्यक्ति या बैंक अथवा वित्तीय संस्था का उपरोक्त भूमि पर निकलता है तो उसकी अदायगी के लिये विक्रेता पूर्ण रूप से जवाबदार रहेंगे उसका क्रेता पर कोई भार नहीं होगा ।

10. यह कि बिक्रीत भूमि विक्रेता ने परिवार के सभी सदस्यों की सहमती से किया है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है भविष्य में किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

11. यह कि विक्रय शुदा भूमि के विक्रय से सिलिंग विधान का उल्लंघन नहीं होता है ।

12. यह कि बिक्रीत भूमि के विक्रय से म0प्र0 भु0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6,7) अथवा इसकी किसी भी अन्य उपधाराओं का कोई उल्लंघन नहीं होता है । विक्रेता की जाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आती है ।

13. यह कि विक्रय शुदा भूमि विक्रेता को भू-दान या शासकीय पट्टे पर मिली हुई नहीं है ।

14. यह कि विक्रय पत्र उभय पक्ष के वारिसान पर भी समान रूप से एवं बंधनकारक रहेंगा ।

कम



₹₹₨०
✓
93170102
9


R. 32200

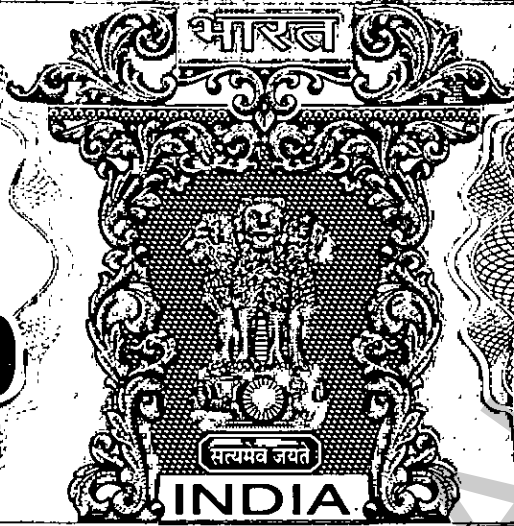

R. 32200

NOT FOR SALE



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

17AA 952067

(7)

अतः उपरोक्त अनुसार सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करना तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि का कब्जा मौके पर सौपना स्वीकार कर विक्रेतागण ने यह विक्रय पत्र केता के हित में बिना किसी दबाव एवं बिना किसी नुशेपानी के पूर्ण होश हवास में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया सो सही समय पर काम आवे ।

नोट :- इस विक्रय पत्र में श्री से अंत तक कोई काटपीट नहीं है ।

दिनांक :- 12 / 10 / 2009

साक्षीगण :-

हस्ताक्षर विक्रेता

1. रोडुलाल

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

रोडुलाल पिता गंगारामजी (पूर्वसरपंच)
निवासी ग्राम करेड़ी तह. तराना

हस्ताक्षर केता

हस्ताक्षर केता

2. नसरुल्ला खां

नसरुल्ला खां पिता खेरुल्ला खां जाति पठान
निवासी ग्राम दुपाड़ा तहसील जिला शाजापुर

मेरे निर्देशन एवं कार्यालय में टंकित किया गया

D. K. Nagar Advocate Tarana



६६५९
१३/१०/०९
१०

1

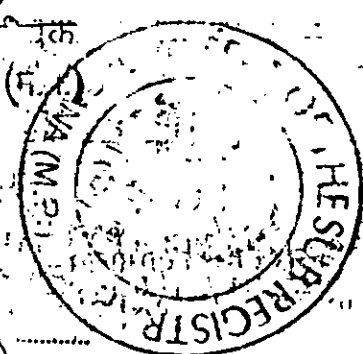
आज की तारीख
 आज का दिन
 आज का मास
 आज का वर्ष

66/130400

13 OCT 2009

आज तारीख 13/10/09
 20 को पुस्तक क्रमांक 1A
 ग्रंथ क्रमांक 15.1.3 के 7 पृष्ठ
 23.1.20 दस्तावेज क्र 575
 देफर पंजीयित किया गया।

उप-निर्देशक
 तराना (म.)



नगर शुल्क 68.21.00
 नगर शुल्क 30.00.00
 मासिक शुल्क 68.51.00

प. १४/१०/०९



परिवार में सम्मिलित सदस्यों का विवरण



Signature

चेव

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	ज. प. त. रा. ना. उम्र	मुखिया से सदस्य का रिश्ता
1	श्री. सुनील - श्री. सुनील	32	पुत्र
2	श्री. सुनील - श्री. सुनील	30	पुत्री
3	श्री. सुनील - श्री. सुनील	13	पुत्री
4	श्री. सुनील - श्री. सुनील	8	पुत्री
5	श्री. सुनील - श्री. सुनील	5	पुत्री
6	श्री. सुनील - श्री. सुनील	1	पुत्री
7			
8			
9			
10			
11			
12			

कुल 6 (पुरुष) 3 (महिला)

घोषणा - पत्र

मैं श्री. सुनील पिता/पति श्री. सुनील घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर दर्शाए गए व्यक्ति मेरे साथ ही सम्मिलित परिवार में रहते हैं और इनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी अन्य परिवार-पत्र (राशनकार्ड) में कहीं भी दर्ज नहीं है। मैं इसके लिये पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हूँ।

हस्ताक्षर मुखिया

⑦



MR 26833/16

(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

परिवार - पत्र

08033

(म.प्र. फूडस्टफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक

खाता क्रमांक

1. परिवार के मुखिया का पूरा नाम श्री. लाल
पिता/पति का नाम श्री. लाल
2. वार्ड क्रमांक मोहल्ला घर क्रमांक
3. वर्तमान पता कैवडी ग्राम कैवडी
विकास खण्ड एवं तहसील तहसील जिला - उज्जैन
4. गरीबी रेखा सर्वेसूची 2006 (बीपीएल सर्वेक्षण 2002-03) में क्रमांक 145
ग्राम कैवडी में दर्ज है।
5. व्यवसाय भूजडी मासिक आय
6. कार्य स्थल का पता डा. लाल
7. गैस कनेक्शन धारी का नाम उप. क्र.
कम्पनी का नाम एजेंसी का नाम
8. परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 6 पुरुष 3 महिला 3
9. शा. उ. मू. दुकान क्रमांक
10. दुकान का नाम व पता
11. हस्ताक्षर मुखिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद, पंचायत, तहसील
12. हस्ताक्षर दुकानदार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
तहसील, जिला उज्जैन
जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर व सील

राशनकार्ड तैयार करने वाले का
नाम एवं हस्ताक्षर
सचिव
आ.प.चायत करेडी
आ.प.ताराना

